



भारत सरकार

कार्यालय आयकर आयुक्त, मुजफ्फरपुर

आदेश

दिनांक:

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80छ(80G) के अधीन आदेश

संस्था का नाम एवं पता:- चिक्का फेडरेशन ऑफ इंडिया,

ग्राम - शम्भुपुर

जिला - मुजफ्फरपुर (बिहार)

उपरोक्त संस्था/न्यास/सोसाइटी को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80छ के अन्तर्गत दानदाता के पक्ष में कर मुक्त होगा बशर्ते, उसकी रकम प्रावधान में निहित सीमा में हो और निम्नलिखित शर्तों का पालन किया गया हो ।

1. दानदाता को जारी की जानी वाली रसीद में इस आदेश की संख्या और तारीख व दानराशि स्पष्ट रूपेण लिखे हों ।
2. आय एवं व्यय के हिसाब का वार्षिक विवरण संबंधित कर निर्धारण अधिकारी के पास निश्चित रूप से प्रस्तुत किया जाए ।
- 3- यह आदेश दिनांक 12-10-2005 से प्रभावी है । यदि भविष्य में यह पाया जाता है कि उपरोक्त संस्था/न्यास/सोसाइटी द्वारा आयकर अधिनियम 1961 का नियम 1962 में उद्धृत शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो इस आदेश को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 293C के तहत निरस्त किया जा सकता है ।
रजिस्टर कम संख्या - 27/2005-10

ह0/-

(शम्भु दत्त झा)

आयकर आयुक्त मुजफ्फरपुर

शेष -पृष्ठ संख्या-2 में ।

सं० सं०- आ० आ०/मुज०/तक०/80G/09-10/3993-95 दिनांक 12-10-09

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. श्रीमान् सचिव/अध्यक्ष..... नियुक्त) प्रेडरेशन ऑफ इंडिया, मुजफ्फरपुर।
को । संस्था के द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80छ (80G) के अधीन मान्यता
-नवीकरण हेतु आवेदन पत्र वित्तीय वर्ष 2009-10 में प्रस्तुत किया गया था ।
2. उप आयकर आयुक्त, अंचल - 1, मुजफ्फरपुर उपरोक्त
संस्था के आय एवं व्यय के वार्षिक लेखों की जाँच करें जो कि बोर्ड के आदेश संख्या
3/फा० सं० 80/2/59/आई०टी०ए० दिनांक- 09/10/1972 एवं आदेश संख्या
63/फा० सं० 367/175/47/70/आई०टी०ए० दिनांक- 09/10/1972 के अनुसार
सालाना प्रस्तुत करेंगे ।
3. अपर आयकर आयुक्त, परिक्षेत्र - 1, मुजफ्फरपुर ।

(बी० के० सिन्हा)

आयकर अधिकारी(तक०)

कृते: आयकर आयुक्त, मुजफ्फरपुर